

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा / ग्रुप-2 / 2020

जयपुर, दिनांक : 29.11.2020

संशोधित आदेश

राज्य में कोविड-19 के संबंध में राजस्थान में लोक स्वास्थ्य मानकों एवं नैदानिक प्रबंधन के संबंध में समीक्षा एवं सहायता हेतु केन्द्रीय टीम दिनांक 01.12.2020 से 02.12.2020 को राज्य के प्रवास पर रहेगा।

राज्य में उक्त केन्द्रीय दल की यात्रा को सुगम बनाने एवं आवश्यक बैठकें आयोजित कराने हेतु डा० राजेश शर्मा, प्रबन्ध निदेशक, आर०एम०एस०सी०एल० (मोबाईल न० 9414070990) को समग्र प्रभारी नियुक्त किया जाता है। प्रवास के दौरान उक्त दल के सदस्यों से समन्वय एवं राज्य में उनके प्रवास को सुगम बनाने हेतु तालिका में अंकित निम्न अधिकारियों को Liason Officer नियुक्त किया जाता है:-

क्र. सं.	केन्द्रीय दल के सदस्य का नाम	नियुक्त Liason Officer
1	श्री वी. के. पॉल, सदस्य, नीति आयोग	डा. रवि शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर 9414593348
2	श्री सुधांशु पंत, विशेषाधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	डा. लोकेश चतुर्वेदी, एसपीएम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर 9414048484
3	डा. अवधेश कुमार, अतिरिक्त निदेशक, NVBDCP	डा. प्रवीण असवाल, उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर 9549896666

उक्त Liason Officer केन्द्रीय दल के सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. मिशन निदेशक, एन. एच. एम.
3. प्रबन्ध निदेशक, आर०एम०एस०सी०एल०
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर।
5. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
6. निजी /रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव